कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री जे0 एस0 इन्टरप्राइजेज, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**003 / 15, 05.02.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अनुराग सिंह एवं श्री शिशिर गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री जे0 एस0 इन्टरप्राइजेज, दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 05.02.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा EPOXIDE RESIN को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-163 से आच्छादित मानते हुए इस पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता मानते हुए कर की दर के विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अनुराग सिंह एवं श्री सुशील गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रश्नगत वस्तु उक्त प्रविष्टि संख्या-163 में शामिल है तथा अपने कथन के समर्थन में M/S SHARP COATING PVT. LTD., 108-110, Indira Complex, Kheri Kalan Road, Faridabad के टैक्स इनवायस संख्या-50 एवं 51, दिनांक 08.04.2011 की कम्प्यूटराइज्ड प्रति प्रस्तुत करते हुए विक्रेता व्यापारी द्वरा बेचे गये माल EPOXIDE RESIN को केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये टैरिफ आइटम नम्बर-3907 से निम्न प्रकार आच्छादित होना माना गया है :-

टैरिफ आइटम नम्बर-3907

'' Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallylesters and other polyesters, in primary forms ''

उक्त टैरिफ आइटम नम्बर-3907 30 10 के अन्तर्गत EPOXIDE RESIN समाहित है। चूँकि इक्साइज टैरिफ के उक्त आइटम को उसी भाँति उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-163 में उसी रूप में अंकित किया गया है। अत: EPOXIDE RESIN पर कर की दर तदनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए। अपने कथन के समर्थन में प्रार्थी द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त COMMISSIONER, COMMERCIAL TAX U.P., LUCKNOW VS CICO TECHNOLOGY LIMITED, GHAZIABAD (2015) 27 VLJ 19 Decided on 28.8.2014 प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में Acrylic Polymers के प्राइमरी एवं सेकेन्डरी फार्म पर विचार करते हुए व्यापारी के पक्ष में निर्णय दिया गया है।

3. उपरोक्त सन्दर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद के पत्र संख्या-3062, दिनांक 09.03.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रश्नगत व्यापारी डिप्टी कमिश्नर,

....2

वाणिज्य कर, खण्ड-5, मुरादाबाद के अधिक्षेत्र में कार्यरत है, तथा इस सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-5, मुरादाबाद के पत्र संख्या-740, दिनांक 03.03.2015 द्वारा प्रेषित आख्या भी संलग्न की गयी है। सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि व्यापारी के वर्ष 2011-12 के वाद में उक्त बिन्दु पर व्यापारी को नोटिस जारी किया गया है। अत: प्रश्नगत मामला कर निर्धारण के अन्तर्गत विचाराधीन है एवं प्रश्नगत बिन्दु पर कर निर्धारण की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। अत: व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत दिया गया प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है एवं तदनुसार अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई है।

पुन: एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद के पत्र संख्या-3161, दिनांक 18.03.2015 से संलग्न डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-5, मुरादाबाद की आख्या के अवलोकन पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नगत व्यापारी के वर्ष 2011-12 के प्रान्तीय वाद में नोटिस संख्या-1503, दिनांक 02.02.2015 जारी की गयी है जिसके द्वारा पाउडर कोटिंग की बिक्री पर 5% की दर से स्वीकृत करदेयता के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र से आच्छादित बिन्दु पर नोटिस जारी की गयी है, तथा अपनी आख्या में वर्ष 2011-12 के मामले में दिनांक 27.01.2015 से सुनवाई प्रारम्भ होने का तथ्य अंकित किया गया है, तथा वर्ष 2012-13 के मामले में इससे पूर्व नोटिस संख्या-1012, दिनांक 26.07.2014 जारी करते हुए पाउडर कोटिंग पर 5% की दर से करदेयता स्वीकार किये जाने के बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उठाये गये बिन्दु को कर निर्धारण में विचाराधीन होना बताते हुए उल्लेख किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के वाद में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं। धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर सेल्स टैक्स, यू0पी0 बनाम राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद विवादित करदेयता के सम्बन्ध में धारा-35 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद के अभिमत के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि चूँकि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत किसी भी ऐसे प्रश्न का विनिश्चय किया जाना विधि संगत नहीं है जो किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी (उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत) के समक्ष लम्बित हो। प्रश्नगत प्रकरण में चूँकि प्रार्थी को कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से इसी बिन्दु पर वर्ष 2011-12 के प्रान्तीय वाद में नोटिस संख्या-1503, दिनांक 02.02.2015, तथा वर्ष 2012-13 के मामले में इससे पूर्व नोटिस संख्या-

....3

1012, दिनांक 26.07.2014 जारी करते हुए पाउडर कोटिंग पर 5% की दर से करदेयता स्वीकार किये जाने के बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है। जबकि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.02.2015 को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी को नोटिस पूर्व से ही जारी है, अत: प्रश्नगत बिन्दु का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि के बाहर है, इसलिए प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि चूँकि प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित बिन्दु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थी के मामले में विचाराधीन है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत दिये गये निम्न प्राविधान का उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है :-

(1) If any question arises, otherwise than in a proceedings pending before a Court or before an authority under this Act, whether, for the purposes of this Act-

(a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a dealer; or

(b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or

(c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or purchase price, as the case may be, therefor; or

(d) any particular dealer is required to obtain registration; or

(e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof,

उक्त प्राविधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत बिन्दु पूर्व से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में दिये गये प्राविधान के दृष्टिगत ग्राह्य न होने के कारण विधि अनुकूल नहीं है, तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि के बाहर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उक्त निर्णय की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 23 मार्च, 2015

ह0 / 23.03.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।